प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 7411/2021

बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिजनौर और अन्य ... अपीलार्थी

बनाम

मीनल अग्रवाल और अन्य ... प्रत्यर्थी

नि र्ण य

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

1. रिट याचिका संख्या 15194/2021 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश 16.08.2021 दिनांकित से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 (मूल रिट याचिकाकर्ता) द्वारा दायर की गई उक्त रिट याचिका को अनुमति प्रदान की है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता–बैंक ने एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के लिए मूल रिट याचिकाकर्ता के आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार करने के लिए को निर्देश देते हुए परमादेश की एक रिट जारी की है, बैंक ने वर्तमान अपील दाखिल की है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील के तथ्य इस प्रकार हैं:

यह कि मूल रिट याचिकाकर्ता ने बैंक से लगभग 1 करोड़ रूपये की क्रेडिट सुविधा प्राप्त की थी।बैंक के साथ उक्त ऋण खाते को "नॉन–परफॉर्मिंग असेट,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(एनपीए)" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बैंक ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (एतस्मिनपश्चात 'सरफेसी अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही भी शुरू की।यह कि दो अन्य ऋण खाते भी थे जिन्हें प्रत्यर्थी संख्या 1– मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा नियमित रूप से चलाया जा रहा था, जिसका अर्थ है कि भुगतान को दो अन्य ऋण खातों के संबंध में नियमित किया गया था।हालांकि, जहां तक वर्तमान ऋण खाते का संबंध है, जिसे एनपीए घोषित किया गया था, ओटीएस के लाभ को बढ़ाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने तक किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

2.1 यह कि बैंक द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम दिनांक 01.08.2013 को ओटीएस सर्कुलर द्वारा जारी की गई थी जिसमें प्रावधान था कि उक्त परिपत्र में निहित शर्तों का पालन करने पर, ओटीएस का लाभ देनदार द्वारा लिया जा सकता है।ओटीएस योजना का लाभ दिनांक 30.11.2019 तक बढ़ाया गया।मूल रिट याचिकाकर्ता ने दिनांक 22.07.2019 को ओटीएस के आवेदन के तहत अपने मामले पर विचार के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।संसूचना 17.09.2019 दिनांकित के माध्यम से, ओटीएस के तहत लाभ प्रदान करने के लिए उसका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह ओटीएस योजना के तहत ओटीएस के लिए पात्र नहीं है और यह कि गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी द्वारा ऋण की वसूली की जा सकती है और ऋण राशि की वसूली की संभावना है और उसके ऋण खाते को 'एनपीए' घोषित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि एनपीए पात्रता से बाहर आने के लिए, मूल रिट याचिकाकर्ता ने दिनांक 02.03.2020 को 60 लाख रुपये की राशि जमा की, अर्थात, उसके पूर्व के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसका ऋण खाता “एनपीए” है, वह ओटीएस योजना के लिए पात्र नहीं है। 2.2. बैंक के बोर्ड ने दिनांक

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

28.12.2020 को एक प्रस्ताव भी पारित किया कि मूल रिट याचिकाकर्ता ओटीएस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं है, इस कारण से कि ऋण खाता पूरी तरह से वसूली योग्य है और ऋण राशि की वसूली के लिए सभी उपाय अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं और ऋण राशि की वसूली की संभावना अभी भी है।

2.3. मूल रिट याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 18221/2020 की रिट याचिका दायर की, जिसमें बैंक द्वारा ओटीएस योजना का लाभ देने के लिए उसके आवेदन को खारिज करते हुए दिनांक 17.09.2019 के आदेश को चुनौती दी गई थी।उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.01.2021 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने बैंक को मूल रिट याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने और उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद दिनांक 22.07.2019 के उनके अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानतः चार सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त रिट याचिका का निपटारा किया। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उक्त रिट याचिका में, मूल रिट याचिकाकर्ता ने बैंक को ओटीएस का लाभ देने का निर्देश देने वाले परमादेश के लिए भी प्रार्थना की ताकि मूल रिट याचिकाकर्ता वर्ष 2013 में लिए गए ऋण के लिए अपनी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए एक बार में पूरी राशि जमा कर सके, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और उच्च न्यायालय ने केवल बैंक को उसकी शिकायत पर विचार करने और दिनांक 22.07.2019 को उसके अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

2.4. इसके बाद, मूल रिट याचिकाकर्ता ने फिर से ओटीएस के तहत लाभ देने के लिए बैंक को दिनांक 06.02.2021 को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे बैंक द्वारा दिनांक 08.01.2021 और 25.02.2021 के संसूचना के माध्यम से फिर से खारिज कर दिया गया था। मूल रिट याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

रिट याचिका संख्या 15194/ 2021 एक नई रिट याचिका दायर की, जिसमें ओटीएस के लाभ के अनुदान के लिए उसके आवेदन को खारिज करते हुए दिनांक 08.01.2021 और 25.02.2021 के उपरोक्त आक्षेपित आदेशों को रद्द करने की प्रार्थना की गई और परिपत्र संख्या सी–108 और सी–121 के माध्यम से जारी ओटीएस का लाभ देने के लिए बैंक को निर्देश देने के लिए परमादेश की एक रिट के लिए भी प्रार्थना की।

2.5. जवाब में विस्तृत शपथपत्र दाखिल करके बैंक ने पूर्वोक्त रिट याचिका का पुरजोर विरोध किया।अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया था कि रिट याचिकाकर्ता ओटीएस योजना के तहत कोई राहत पाने का हकदार नहीं था क्योंकि ऋण राशि की वसूली की संभावनाएं कम नहीं होती हैं और स्थिर रहती हैं और पर्याप्त मात्रा में संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखी गई है और इसलिए गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी करके बैंक ऋण राशि की वसूली कर सकता है।यह भी कहा गया कि उनका मामला ओटीएस के लिए पात्र श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। यह कहा गया था कि मूल रिट याचिकाकर्ता का मामला भी निपटान सलाहकार समिति को विचार के लिए भेजा गया था, जिसने रिट याचिकाकर्ता को सुनने के बाद ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए उसके आवेदन को भी खारिज कर दिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आक्षेपित निर्णय और आदेश और शक्तियों के प्रयोग से, उच्च न्यायालय ने परमादेश की रिट जारी की है और बैंक को ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए उसके आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार करने का निर्देश दिया है।

2.6. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक को ओटीएस के लिए

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उसके आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार करने के लिए बैंक को निर्देश देने के लिए एक परमादेश जारी किया है, बैंक ने वर्तमान अपील दाखिल की है। अपीलार्थी– बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री मीनाक्षी अरोड़ा, एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री वी.के. शुक्ला पेश हुए। 3.1 यहां अपीलकर्ता की ओर से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने जोरदार तरीके से कहा कि उच्च न्यायालय ने ओटीएस के अनुदान के लिए मूल रिट याचिकाकर्ता के आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार करने के लिए बैंक को निर्देश देने वाले परमादेश की रिट जारी करने में महत्वपूर्ण गलती की है, जिसके अनुसार, बैंक की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित नहीं किया जा सकता था।

3.2. यह पुरजोर तरीके से कहा गया है कि बैंक और साथ ही निपटान सलाहकार समिति द्वारा इस तरह के एक सचेत निर्णय लिया गया था कि मूल रिट याचिकाकर्ता ओटीएस के लाभ के लिए पात्र नहीं है क्योंकि वह ओटीएस का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड को पूरा नहीं कर रही है।

3.3. यह आगे कहा गया है कि आरबीआई के दिशानिर्देशों के साथ –साथ ओटीएस योजना को ध्यान में रखते हुए और वह भी मूल रिट याचिकाकर्ता को एक अवसर देने के बाद एक सचेत निर्णय लिया गया था और इसलिए इसे उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया जाना चाहिए था।

3.4. यह आगे कहा गया है कि इस प्रकार ओटीएस का लाभ किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिकार के रूप में मांगा/प्रार्थना नहीं किया जा सकता है जो चूक में है।यह कहा गया है कि ओटीएस का लाभ आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ– साथ ओटीएस योजना में शर्तों के अनुसार दिया जाना है।यह कहा गया है कि यदि

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

यह पाया जाता है कि गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी करके और /या अन्य संपत्तियों की नीलामी करके ऋण राशि की वसूली की संभावना है, जिन्हें प्रतिभू के रूप में रखा जाता है और पूरी ऋण राशि की वसूली की संभावना कम नहीं होती है, बैंक ओटीएस योजना के तहत लाभ देने से इनकार करने में न्यायोचित है।

3.5 यह कहा गया है कि वर्तमान मामले में, अन्य दो ऋण खातों में, मूल रिट याचिकाकर्ता भुगतान कर रहा है, हालांकि, जहाँ तक वर्तमान ऋण खाते का संबंध है दिनांक 2.3.2020 तक कोई भी राशि जमा नहीं की गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 60 लाख रुपये की राशि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा एनपीए से बाहर आने के लिए चतुराई से जमा किए गए थे। यह केवल तब कहा गया है जब ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए उसका पहला आवेदन दिनांक 17.09.2019 को खारिज कर दिया गया था, इसलिए मूल रिट याचिकाकर्ता ने एनपीए से बाहर आने और ओटीएस योजना के तहत लाभ लेने के लिए 60 लाख रुपये की राशि जमा की। ओटीएस योजना के तहत यह कहा गया है कि, एक बार जब खाते को एनपीए घोषित कर दिया जाता है और कोई भी राशि जमा नहीं की जाती है जब तक कि ओटीएस के तहत लाभ के अनुदान के लिए आवेदन दायर नहीं किया जाता है और गिरवी रखी गई संपत्ति या प्रतिभू के रूप में रखी गई अन्य संपत्तियों की नीलामी करके पूरी ऋण राशि की वसूली न कर ली जाय, ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

3.6. इसलिए यह कहा गया है कि वर्तमान मामले में, जैसा कि यह पाया गया था कि मूल रिट याचिकाकर्ता ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए पात्र नहीं है, उसके आवेदन को बैंक के साथ–साथ निपटान सलाहकार समिति द्वारा सही तरीके से खारिज कर दिया गया था।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

3.7. यह आगे कहा गया है कि ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए उसके आवेदन को अस्वीकार करने का निर्णय आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ–साथ ओटीएस योजना के अनुरूप था। यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय को उसके पक्ष में किसी पूर्ण /निहित अधिकार के अभाव में, ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए उसके मामले पर सकारात्मक रूप से विचार करने के लिए बैंक को निर्देश देने के लिए परमादेश की रिट जारी नहीं करनी चाहिए थी।

3.8. अपीलकर्ता–बैंक की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयों एम .एम. एक्सेसरीज बनाम यूपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कानपुर एआईआर 2002 ऑल 96 के मामले में और साथ ही एक अन्य निर्णय विपिन कुमार गुप्ता बनाम शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ज्ञानपुर एआईआर 2004 ऑल 319 के मामले में उक्त दोनों निर्णयों में कहते हुए अत्यधिक अवलम्ब लिया है, यह विशेष रूप से उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओटीएस का लाभ देने का निर्देश देने वाला परमादेश की ऐसी कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। यह कहा गया है कि यद्यपि उपरोक्त निर्णयों को उच्च न्यायालय के समक्ष उद्धृत किया गया था पर उच्च न्यायालय द्वारा उन पर न तो विचार किया गया है और न ही ध्यान दिया गया है।

3.9 उपरोक्त तर्क प्रस्तुत करते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति देने और और ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए मूल रिट याचिकाकर्ता के मामले पर सकारात्मक रूप से विचार करने के लिए बैंक को निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द और अपास्त करने की प्रार्थना की जाती है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

4. वर्तमान अपील का प्रत्यर्थी संख्या 1– मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री वी.के. शुक्ला द्वारा पुरजोर विरोध किया गया है।यह कहा गया है कि वर्तमान मामले में यह पाया गया कि यद्यपि मूल रिट याचिकाकर्ता ओटीएस योजना के तहत पूरी राशि जमा करने के लिए तैयार और इच्छुक है और हालांकि वह ओटीएस योजना के तहत लाभ के अनुदान के लिए पात्र है तो ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था जो मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ पाया गया था, उच्च न्यायालय ने ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए मूल रिट याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने के फैसले को सही ठहराया है।

4.1. यह कहा गया है कि ओटीएस योजना के तहत, एक ऋणकर्ता को आवेदन के साथ कुल राशि का कम से कम 25% जमा करना आवश्यक है, हालांकि मूल रिट याचिकाकर्ता ने भुगतान की जाने वाली राशि का 50% से अधिक जमा किया– इससे पहले कि ओटीएस के तहत लाभ प्रदान करने के लिए उसके आवेदन पर विचार किया जाता है।यह कहा गया है कि उक्त राशि का चेक बैंक द्वारा स्वीकार किया गया था और यहां तक कि एनपीए खाते में भी जमा किया गया था, जिससे पता चलता है कि ओटीएस के लिए उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है।यह कहा गया है कि इसके बाद ओटीएस के तहत लाभ प्रदान करने के लिए आवेदन को अस्वीकार करना दुर्भावनापूर्ण और मनमाना है और इसलिए उच्च न्यायालय ने सही ढंग से परमादेश रिट जारी की है और बैंक को ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए उसके मामले पर सकारात्मक रूप से विचार करने का निर्देश दिया है।

4.2. यह आगे कहा गया है कि जैसे कि मूल रिट याचिकाकर्ता को बैंक द्वारा परेशान किया जा रहा था, जब वह ओटीएस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

था। यह कहा गया है कि बैंक ने एक गलत/गुप्त मकसद के साथ जानबूझकर उसकी संपत्ति हड़पने के लिए ओटीएस योजना के तहत लाभ देने से इनकार कर दिया। इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों के प्रयोग में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप न किया जाए।

5. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, निम्नलिखित मुद्दों/प्रश्नों को इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है:

i) क्या ओटीएस योजना के तहत लाभ की प्रार्थना अधिकार के रूप में की जा सकती है? ;

(ii) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में उच्च न्यायालय बैंक को ओटीएस योजना के तहत लाभ के अनुदान पर सकारात्मक रूप से विचार करने के लिए बैंक को निर्देश देने वाले परमादेशों की रिट जारी कर सकता है और वह भी ओटीएस योजना के तहत उल्लिखित पात्रता मानदंड को समाप्त करता है?

5.1 उपरोक्त मुद्दों/प्रश्नों पर विचार करते समय, ओटीएस योजना के प्रासंगिक खंडों को संदर्भित किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैं:

1. परिचय: –

राज्य के शहरी सहकारी बैंकों द्वारा संस्थानों/सदस्यों को समय–समय पर वितरित विभिन्न प्रकार के ऋणों का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में समय–समय पर ऋण के रूप में अवरुद्ध है।ऐसे व्यपगत ऋणों की वसूली के संबंध में तमाम कोशिशों के बावजूद लंबे समय से ऋणों की वसूली नहीं हो रही है .भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर ओटीएस के लिए जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्य में गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली के लिए संशोधित

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

एकमुश्त निपटान (ओटीएस) को लागू करने का निर्णय लिया गया है ताकि बैंक के गंभीर कालातीत ऋण अधिकतम वसूली प्राप्त करने के लिए बचाया जा सकता है।

2. कवरेज (कट–ऑफ–डेट): –

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 31 .3.2013 से संस्थाओं/व्यक्तियों पर सभी प्रकार के ऋणों को संदिग्ध या हानि संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में यह योजना लागू होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार , यह योजना 31.03.2013 से संस्थानों और व्यक्तियों पर सभी प्रकार के ऋणों के संबंध में लागू है, जो कि संदिग्ध या हानि वाली संपत्तियों की श्रेणी में हो या उक्त तिथि को अवमानक में वर्गीकृत किया गया हो।डिफॉल्टरों की निम्नलिखित श्रेणियां इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगी:

ऋण की अदायगी में स्वैच्छिक डिफॉल्टर, (जिस व्यक्ति या संस्था ने ऋण लेने के बाद किस्त का भुगतान न किया हो, वह ऋण का भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा, उसे डिफॉल्टर की श्रेणी में माना जाएगा)।

2. धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले।

3. वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋण।

4. कालातीत का ऐसा ऋण जो बैंक सचिव/संचालक द्वारा लिया गया हो या जिसकी गारंटी बैंक के किसी निदेशक या संचालक के निकट संबंधी या किसी संस्था द्वारा ली गई हो जिसमें वर्तमान या पूर्व निदेशक का हित निहित हो।

5. ऐसा कालातीत ऋण जिसकी गारंटी सरकार द्वारा दी गई हो।

6. सरकार द्वारा अनुमोदित सरकारी विभागों/संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

7. परक्राम्य एन.पी.ए./बकाया ऋण सीमा किसी संगठन/व्यक्तिगत सदस्य के सभी प्रकार के ऋण खातों को एकत्रित करने वाली धनराशि है, जिसके लिए एकमुश्त समझौता किया जा सकता है कि ऋण की सीमा समाप्त हो जाएगी।

8. व्यक्तिगत ऋणकर्ता 10.00 लाख रूपये

9. संस्थागत उधारकर्ता 50.00 लाख रूपये

उपरोक्त सीमा से अधिक के मामलों में, एकमुश्त निपटान के लिए संबंधित बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अलग से योजना बनाकर सहकारी समितियों के निबन्धक के पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4. बन्दोबस्त सूत्र:

(क) गैर–निष्पादित आस्तियों के खाते जिन्हें 31 मार्च 2013 को संदिग्ध/हानि के रूप में वर्गीकृत किया गया था या होना चाहिए था, धनराशि की वसूली उस खाते में कुल शेष (मूलधन और ब्याज) के बराबर होगी जिस तारीख को खाते को संदिग्ध और हानि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।यदि ऐसे खातों में संदिग्ध/हानि श्रेणी के वर्गीकरण की तिथि के बाद ब्याज लगाया गया है, तो उसे माफ किया जा सकता है, यह नीति सभी ऋणकर्ताओं और डिफाल्टरों पर समान रूप से लागू होगी।

(ख) डिफाल्टर की सहमति से इस योजना के तहत बन्दोबस्त की कुल राशि एकमुश्त जमा करनी होगी, लेकिन यदि डिफाल्टर सारी धनराशि एकमुश्त जमा करने में असमर्थ है, तो सहमति पत्र की तिथि तक ऐसी राशि का 25 प्रतिशत और शेष 75 प्रतिशत की वसूली के लिए, एक वर्ष की अवधि में तीन समान किश्तों में धनराशि जमा करनी होगी जिस पर बन्दोबस्त की तिथि से अंतिम कर्ज अदायगी की तिथि तक न्यूनतम ऋण ब्याज की दर से ब्याज देय होगा।दंडात्मक ब्याज, कानूनी खर्च और अन्य खर्चों को माफ कर दिया जाएगा।

5. राहत देने का प्राधिकारी:–

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

योजना का अनुमोदन सबसे पहले उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत गठित संबंधित बैंक प्रबंधन समिति द्वारा किया जायेगा और 5.00 लाख रू. तक के एकमुश्त निपटान मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा और 5.00 लाख रू. से अधिक के मामलों के लिए रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, उत्तर प्रदेश का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा। इस उद्देश्य के लिए, बैंक एक बन्दोबस्त सलाहकार समिति का गठन करेगा, जो प्राप्त आवेदनों की जांच करने के बाद निर्णय के लिए प्राधिकारी के समक्ष पात्रता के भीतर आने वाले उपयुक्त मामलों को प्रस्तुत करेगा।बैंक बिना किसी भेदभाव के ऋण प्राप्तकर्ताओं के साथ बन्दोबस्त से संबंधित दिशा–निर्देशों का पालन करेगा।मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/निदेशक मंडल द्वारा नीतियों से कोई विचलन नहीं होगा।प्रबंधन समिति या आम सभा की अगली बैठक में बंदोबस्ती समिति के निर्णय की पुष्टि की जाएगी।

6. बन्दोबस्त सलाहकार समिति।प्राप्त मामलों की जांच करने और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पात्र मामलों को प्रस्तुत करने के बाद, यह निम्नानुसार होगा:

1. बैंक प्रेसीडेन्ट के चेयरमैन

2. सचिव/कार्यकारी अधिकारी संबंधित सदस्य/संयोजक

3. सदस्य निदेशक मंडल द्वारा नामित एक निदेशक और एक अन्य व्यक्ति और बैंक अधिकारी जिसे बैंकिंग / प्रबंधन या कानून के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव हो।

बन्दोबस्त सलाहकार समिति के प्रयोजन के लिए तीन सदस्य होंगे जो सदस्य से प्राप्त आवेदन की जांच करेंगे और इसकी स्पष्ट सिफारिश करने के बाद उसे निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।सिफारिश करते समय, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाएगा –

1. तत्काल लोन की सिफारिश करने वाले अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से ऋण स्वीकृत नहीं करना चाहिए था।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

2. यह अंतरण रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया गया है।

3. लोन देने के बाद पर्याप्त सावधानी बरती गयी है।

4. ऋण की वसूली के प्रयास किए गए हैं और वसूली की संभावना को कम किया गया है।

निदेशक मंडल उचित विचार के बाद एकमुश्त भुगतान को मंजूरी देगा।समिति के निर्णय (एस.ए.सी.) की प्रत्येक माह निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाएगी और निर्धारित समय–सीमा के भीतर निपटान की कार्यवाही पूरी की जाएगी।

5.2 इसलिए, जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, ओटीएस योजना के लाभ के अनुदान को अधिकार के रूप में प्रार्थना नहीं की जा सकती है और यह योजना में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन है। ओटीएस योजना के तहत अपात्र डिफॉल्टरों का उल्लेख खंड 2 में किया गया है, जो यहां प्रस्तुत किया गया है। ऋण की अदायगी में विलफुल डिफॉल्टर और एक व्यक्ति जिसने ऋण लेने के बाद एक भी किस्त का भुगतान नहीं किया है और ऋण का भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा, उसे "डिफॉल्टर" की श्रेणी में माना जाएगा और ओटीएस योजना के तहत लाभ के अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा।इसी तरह, वह व्यक्ति जिसका खाता 'एनपीए' घोषित किया गया हो, वह भी पात्र नहीं होगा।दिशानिर्देशों के अनुसार,प्राप्त आवेदनों की जांच के उद्देश्य से बैंक को एक निपटान सलाहकार समिति का गठन करना आवश्यक है और उसके बाद उक्त समिति को ओटीएस योजना के अनुसार पात्रता पर विचार करने के बाद यह निर्णय लेना होगा कि कोई डिफाल्टर ओटीएस योजना के लाभ का हकदार है या नहीं।सिफारिशें करते समय, बन्दोबस्त सलाहकार समिति को विचार करना होगा कि क्या ऋण धनराशि की वसूली के लिए प्रयास किए गए हैं और वसूली की संभावना कम से कम की गई है, जिसका अर्थ है कि यदि राशि की वसूली की संभावना है , तो या तो उचित

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कार्यवाही शुरू करके या गिरवी रखी गई संपत्ति और/या उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा प्रतिभूति के रूप में दी गई संपत्तियों की नीलामी करके, ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए ऋणकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

6. वर्तमान मामले में, इस तथ्य के बावजूद कि प्रति शपथपत्र के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष यह विशेष रूप से इंगित किया गया था कि (i) सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली की कार्यवाही लंबित है; (ii) ऋणकर्ता और उसके पति ने दो क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया है और दोनों ऋण खातों को नियमित रूप से बनाए रखा गया है और धन नियमित आधार पर जमा किया जा रहा है; (iii) बन्दोबस्त सलाहकार समिति ने निष्कर्ष निकाला कि उधारकर्ता अच्छी वित्तीय स्थिति में है और यदि कोई वसूली की जानी है तो गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी करके बैंक पूरी ऋण राशि की वसूली कर सकता है, उच्च न्यायालय पूर्वोक्त पहलुओं पर उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में विचार करने में विफल रहा है और परमादेश की रिट जारी किया है जिससे ओटीएस योजना के तहत लाभ के अनुदान को अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है।

7. वर्तमान मामले में, बैंक के साथ–साथ बन्दोबस्त सलाहकार समिति द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया था जो बोर्ड के दिनांक 28.12.2020 के प्रस्ताव और 08.01.2021 के निर्णय से परिलक्षित होता है।यहां तक कि व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 25.02.2021 को बन्दोबस्त सलाहकार समिति द्वारा मूल रिट याचिकाकर्ता को दी गई थी।उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश में कहा है कि मूल रिट याचिकाकर्ता को कोई अवसर नहीं दिया गया था, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है।इसलिए, निर्णय को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

8. आक्षेपित निर्णय एवं आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने बैंक की ओर से प्रस्तुतियों के जवाब में कहा कि ऋण राशि की वसूली की सभी संभावनाएं हैं और सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू कर राशि की वसूली का प्रयास किया जा रहा है और गिरवी रखी गई संपत्तियों की नीलामी की जा सकती है, यह देखा गया है कि सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही सात वर्षों से लंबित है और और बैंक अपने बकाए की वसूली करने में असमर्थ रहा है और इसलिए वसूली की आशा भ्रामक है। यह निष्कर्ष अभिलेख पर किसी भी सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है।केवल इसलिए कि सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही सात साल तक लंबित रही है, बैंक को उसी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।बैंक की कोई गलती नहीं पाई जा सकती।जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह बैंक द्वारा एक सचेत निर्णय है कि बैंक गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी करके पूरी ऋण राशि की वसूली करने में सक्षम होगा और बैंक द्वारा यह सोच – समझकर प्रयोग किया जाता है कि ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करने और कम राशि की वसूली करने के बजाय, संपूर्ण ऋण राशि की वसूली की सभी संभावनाएं हैं।यह अंततः बैंक के लिए अपने हित में एक सचेत निर्णय लेने और बकाया ऋण को सुरक्षित/पुनर्प्राप्त करने के लिए है।किसी भी बैंक को ओटीएस योजना के तहत कम राशि स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि बैंक सुरक्षित संपत्ति / गिरवी संपत्ति की नीलामी करके पूरी ऋण राशि की वसूली करने में सक्षम है।जब बैंक द्वारा ऋण का वितरण किया जाता है और बकाया राशि बैंक को देय और भुगतान होता है, यह हमेशा बैंक के हित में और अपने वाणिज्यिक ज्ञान में एक सचेत निर्णय लेगा।

9. अन्यथा, जैसा कि यहां देखा गया है, कोई भी ऋणकर्ता, अधिकार के रूप में, एकमुश्त बन्दोबस्त योजना के लाभ के अनुदान के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है।किसी दिए गए मामले में, ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति एक बड़ी धनराशि

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

ऋण लेगा, उदाहरण के लिए 100 करोड़ रूपये। ऋण लेने के बाद, वह जानबूझकर किश्तों के लिए किसी भी राशि का भुगतान नहीं कर सकता है, हालांकि भुगतान करने में सक्षम है।वह ओटीएस योजना की प्रतीक्षा करेगा और फिर ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए प्रार्थना करेगा, जिसके तहत ऋण खाते के तहत देय और देय राशि से हमेशा कम राशि का भुगतान करना होगा।यह, पूरी ऋण राशि की वसूली की पूरी संभावना होने के बावजूद, जिसे गिरवी रखी गई / सुरक्षित संपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह माना जाता है कि अधिकार के रूप में ऋणकर्ता अभी भी ओटीएस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकता है, उस स्थिति में यह एक बेईमान ऋणकर्ता को अधिमूल्य देना होगा, जो इस तथ्य के बावजूद कि वह भुगतान करने में सक्षम है और यह तथ्य कि बैंक गिरवी /सुरक्षित संपत्तियों को बेचकर भी पूरी ऋण राशि या तो उधारकर्ता और /या गारंटर से वसूल करने में सक्षम है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ओटीएस योजना के तहत एक देनदार को ऋण खाते के तहत देय और वास्तविक देय राशि से कम राशि का भुगतान करना पड़ता है।ओटीएस योजना की पेशकश करते समय बैंक का ऐसा इरादा नहीं हो सकता है और यह इस योजना का उद्देश्य नहीं हो सकता है जो इस तरह की बेईमानी को प्रोत्साहित कर सकता है।

10. यदि डिफाल्टर इकाई/व्यक्ति की ओर से वित्तीय निगम/बैंक को उसके द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर एकमुश्त बन्दोबस्त करने के लिए बाध्य करने या निर्देशित करने के लिए प्रार्थना की जाती है, तो प्रत्येक डिफाल्टर इकाई/व्यक्ति जो उसके द्वारा किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार अपनी बकाया राशि का भुगतान करने में सक्षम है/उसके पक्ष में एकमुश्त बन्दोबस्त प्राप्त करना चाहता है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कौन अपने दायित्व को कम नहीं करना चाहता और ऋण खाते के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी धनराशि से कम राशि का भुगतान करना चाहता है? वर्तमान मामले में, यह नोट किया जाता है कि मूल रिट याचिकाकर्ता और उनके पति दो अन्य ऋण खातों में नियमित रूप से भुगतान कर रहे हैं और उन खातों को नियमित कर दिया गया है।मतलब इस प्रकार, उनके पास वर्तमान ऋण खाते के संबंध में भी भुगतान करने की क्षमता है और उक्त तथ्य के बावजूद, वर्तमान ऋण खाते में एक भी राशि/किस्त का भुगतान नहीं किया गया है जिसके लिए मूल याचिकाकर्ता ओटीएस योजना के तहत लाभ के लिए प्रार्थना कर रहा है।

11. पूर्वोक्त चर्चा का सार और सार यह होगा कि किसी वित्तीय संस्थान/बैंक को उधारकर्ता को ओटीएस का लाभ सकारात्मक रूप से देने का निर्देश देते हुए कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। ओटीएस के तहत लाभ का अनुदान हमेशा ओटीएस योजना के तहत उल्लिखित पात्रता मानदंड और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होता है।यदि बैंक/वित्तीय संस्थान की राय है कि ऋणी के पास भुगतान करने की क्षमता है और/या बैंक/वित्तीय संस्था या तो ऋणी और/या गारंटर से गिरवी रखी गई संपत्ति/प्रतिभूत संपत्ति की नीलामी करके संपूर्ण ऋण राशि की वसूली करने में सक्षम है, तो ओटीएस योजना के तहत बैंक को लाभ देने से इनकार करना न्यायसंगत होगा।अंततः, इस तरह का निर्णय उस बैंक के व्यावसायिक ज्ञान पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिसकी राशि शामिल है और यह हमेशा माना जाना चाहिए कि वित्तीय संस्थान/बैंक ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करना है या नहीं, इसमें शामिल जनहित को ध्यान में रखते हुए और ऊपर वर्णित कारकों को ध्यान में रखते हुए एक विवेकपूर्ण निर्णय लेगा।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

12. पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और उपरोक्त कारणों के लिए, हमारा दृढ़ मत है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए परमादेश की रिट जारी करने में अपीलकर्ता–बैंक को मूल रिट याचिकाकर्ता को ओटीएस के लाभ पर सकारात्मक रूप से विचार करने/अनुदान देने का निर्देश देने में महत्वपूर्ण त्रुटि की है।अत: उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अनुरक्षणीय नहीं है और निरस्त और अपास्त किए जाने योग्य है और तदनुसार निरस्त और अपास्त किया जाता है।

13. तदनुसार वर्तमान अपील को अनुमति दी जाती है।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

.....

[न्यायमूर्ति एम. आर. शाह]

.....

[बी. वी. नागरत्न]

नई दिल्ली;

15 दिसंबर, 2021

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।